

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,

जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

विषय:-जिला सागर के अन्तर्गत आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 182.16 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-20/2022-FC दिनांक 05.12.2022

--00--

विषयांकित प्रकरण मे भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से चाही गई अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं की जानकारी आवेदक विभाग से प्राप्त की जाकर संलग्न प्रस्तुत है :-

क्रं	चाही गई जानकारी	उत्तर												
i	The State Government has informed that 29,187 no. of plants have been planted under various schemes on 34.78 ha forest land out of total proposed area of 181.39 ha. Therefore the copy of undertaking from the User Agency to bear the cost of plantation already raised on the area proposed for diversion shall be submitted.	आवेदक विभाग ने इस संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि परियोजना के डूब प्रभावित वनक्षेत्र में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की लागत का भुगतान जल संसाधन विभाग द्वारा किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।												
ii	The State Govt. was informed that the Satellite imagery shows the presence of agricultural land within the proposed forest land for diversion. However the information/comments on the said issue have still not been submitted which needs submission.	आवेदक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के डूब प्रभावित वन क्षेत्र में 09 पट्टाधारकों की कुल 8.11 हे० भूमि प्रभावित हो रही है। जिनका भूमि अर्जन, पुनर्वासन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत आपसी सहमति से भू-अर्जन कर उचित मुआवजा भुगतान जल संसाधन विभाग द्वारा किया जावेगा।												
iii	The State Govt. has now provided the KML file of 'Saddle' & 'Submergence' proposed on the Non-forest land. However on examination the total project area (including Forest & Non-Forest area) is found to be 597.05 ha instead of 683.54 ha as per online Part-I. The same shall be examined and correct factual position along with KML file shall be submitted.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">परियोजना अंतर्गत प्रभावित भूमि का विवरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>वनभूमि</td> <td>182.16 हे.</td> </tr> <tr> <td>(गैर वनभूमि)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>निजी भूमि</td> <td>362.03 हे.</td> </tr> <tr> <td>शासकीय भूमि</td> <td>53.36 हे.</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>597.55 हे.</td> </tr> </tbody> </table> <p>इस संबंध में आवेदक विभाग ने अवगत कराया है, कि परियोजना अंतर्गत डूब प्रभावित शेष रकबा 85.99 हेक्टेयर भूमि (683.54 हे.-597.55 हे.) पूर्व में राजस्व ग्रामों में दर्ज होने के कारण शासकीय भूमि के रूप में दर्शाया गया। वर्तमान में यह वन विभाग के अधिपत्य में है जिसे परियोजना के प्रभावित वन क्षेत्र 182.16 हे० में भी सम्मिलित किया गया है।</p> <p>प्रकरण में उक्त 85.99 हे० भूमि की पुनरावृत्ति हुयी है। प्रकरण में कुल 597.55 हे० भूमि प्रभावित हो रही है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जिला सागर म.प्र. का प्रमाण पत्र संलग्न है।</p>	परियोजना अंतर्गत प्रभावित भूमि का विवरण		वनभूमि	182.16 हे.	(गैर वनभूमि)		निजी भूमि	362.03 हे.	शासकीय भूमि	53.36 हे.	कुल	597.55 हे.
परियोजना अंतर्गत प्रभावित भूमि का विवरण														
वनभूमि	182.16 हे.													
(गैर वनभूमि)														
निजी भूमि	362.03 हे.													
शासकीय भूमि	53.36 हे.													
कुल	597.55 हे.													

iv	Examination of latest KML file of instant project reveals the presence of State Highways/ Road within the forest patches for diversion. The same shall be clarified.	परियोजना के डूब प्रभावित क्षेत्र से राज्य राजमार्ग क्रमांक-14 की न्यूनतम दूरी 1.5 कि. मी. है। परियोजना के डूबक्षेत्र में ग्रामीण सड़क प्रभावित हो रही है।
v	The State govt. has now uploaded the KML files of degraded forest land identified to accommodate the balance saplings of the Non-forest land for CA and it has been found that part of one CA patch namely PF-1063 is falling within a water body and having encroachment/ agricultural land and another CA patch namely RF-1064 was earlier proposed in case of Amelia Coal block (FP/MP /MIN/1026/2007). Therefore the same needs revision along with revised CA Schemes and other relevant documents.	इस शर्त के पालन में नवीन स्थल बिगड़े वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक पी.एफ.-909 रकबा 30.00 हे० का चयन किया जाकर संशोधित क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु वनीकरण योजना मय तकनीकी स्वीकृति सहित संलग्न है। नवीन स्थल बिगड़े वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक पी.एफ.-909 रकबा 30.00 हे० की KML files आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक-L(iv)(2) में अपलोड की गई है।
vi	The State Govt. has submitted revised Cost-Benefit Analysis. However the cost mentioned against parameters like Habitat fragmentation is not as per the prescribed guidelines. Further, the proposal is for construction of Apchand Medium Irrigation Project whereas the details given in Table - B Point No. 9 pertain to Kopra Medium Project. The same needs correction and revision accordingly.	आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत संशोधित Cost-Benefit Analysis पत्रक की प्रति संलग्न है।
vii	The revised KML boundary of CA land proposed in village GORAIYA has been uploaded online and on examination of same it has been found that: a. Now the area is found to be 54.490 ha instead of 54.59 ha as per proposal. Therefore the correct kml file as per proposal shall be submitted. b. The presence of agriculture land, Two (2) Settlements and a Transmission line has been observed in the proposed CA land. The State Govt. shall therefore ensure that the NFL proposed for CA is free from all encumbrances and suitable for plantation.	a. आवेदक विभाग द्वारा ग्राम गोरैया रकबा 54.59 हे० गैर वनभूमि की संशोधित KML files आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक-L(iv)(1) में अपलोड की गई है। b. इस संबंध में आवेदक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित उपरोक्त भूमि में दो अस्थायी अतिक्रमण है जिसे भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति से पूर्व हटाया जाकर वन विभाग को हस्तांतरित किया जावेगा। क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि पर से Transmission line को हटा कर संशोधित KML files आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक-L(iv)(1) में अपलोड की गई है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-3/101/2021/10-11/12/905
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 28/02/2023

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
 2. वनमंडलाधिकारी, सा0 वन मण्डल, दक्षिण सागर, मध्यप्रदेश।
 3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, जिला सागर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर, वनमण्डल (म.प्र.)

E-mail - dfotssagar@mp.gov.in Phone No. 07582-236215

क्रमांक/मा.चि./06/2023/ 225
प्रति,

सागर, दिनांक 23-2-23

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(कक्ष भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय :- जिला सागर के अंतर्गत आपचन्द मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 181.39 हेक्टेयर (ऑनलाईन रकवा 182.16 हे.) वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :- 1. आपका पृष्ठांकन पत्र क्रमांक/एफ-3/101/2021/10-11/12/ 4176 दिनांक 07.12.2022
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर का पत्र क्रमांक/5526 दिनांक 23.12.2022
---“---

उपरोक्त विषयांकित में निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रकरण में स्वीकृति जारी कराने हेतु निम्न बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। निर्देशों के तारतम्य में प्रकरण में इस कार्यालय से निम्नानुसार जानकारी तैयार कर सम्प्रेषित है :-

क्र.	आपत्ति	निराकरण
V	The State Govt. has now uploaded the KML files of degraded forest land identified to accommodate the balance saplings of the Non-forest land for CA and it has been found that part of one CA patch namely PF-1063 is falling within a water body and having encroachment/agricultural land and another CA patch namely RF-1064 was earlier proposed in case of Amelia Coal block (FP.MS.MIN/1026/2007). Therefore the same needs revision along with revised CA Schemes and other relevant documents.	1- वन परिक्षेत्र केसली के अंतर्गत बीट लकड़याऊ डुंगरिया के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 1063 कुल रकवा 53.32 हे. में से 30.00 हेक्टेयर वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया था प्रस्तावित स्थल का कुछ भाग तालाब के डूब क्षेत्र में आने के कारण वन परिक्षेत्र ढाना के अंतर्गत बीट-अकलापूर्व वन कक्ष क्रमांक-909 रकवा 30.00 हेक्टेयर की तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त, सागर के आदेश क्रमांक/व्यय/कैम्पा/19 दिनांक 17.02.2023 से जारी की जा चुकी है। (छायाप्रति संलग्न है) 2- वनमण्डल अधिकारी, सिंगरौली वनमण्डल के पत्र क्रमांक/252 दिनांक 13.01.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सिंगरौली जिले के अमिलिया कोल ब्लॉक अंतर्गत कोल माईनिंग हेतु रकवा 843.76 हे. (instead 1283.570 हे.) वनभूमि व्यपवर्तन हेतु मेसर्स टी. एच.डी. सी. लिमिटेड को प्रस्तावित है जिसके बदले दुगने बिगड़े वन क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु वनमण्डल सामान्य सतना, विदिशा, सेधवा, बड़वानी, बुरहानपुर एवं खरगोन में 1692.00 हेक्टेयर प्रस्तावित है। दक्षिण सागर वनमण्डल अंतर्गत उक्त

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

		<p>परियोजना हेतु प्रभावित वनभूमि के बदले कोई क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना प्रस्तावित नहीं है। (छयाप्रति संलग्न है)</p> <p>3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर से प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न है।</p> <p>प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।</p>
--	--	---

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल

पृ.क्रमांक/मा.चि./06/2023/226
प्रतिलिपि :-

सागर, दिनांक 23-2-23

- 1- मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त, सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, जिला सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4- उप वनमण्डल अधिकारी दक्षिण सागर/देवरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1, सागर (म.प्र.)

☎ : 07582-223809 (सिविल कोर्ट के पास) सागर (म.प्र.) पिन कोड - 470001

E-mail - eewrdno1sgr@gmail.com.

पत्र क्र० ६६२१/कार्य /2022-23
प्रति,

सागर, दिनांक: 23 / 12/2022

वन मंडल अधिकारी,
दक्षिण वन मंडल,
सागर जिला सागर (म.प्र.)

विषय:- आपचंद जिला सागर अंतर्गत आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 181.39 हेक्टेयर (आनलाईन रकवा 182.16 हे.) वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

- सन्दर्भ:-**
- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) का पत्र क्रमांक/एफ-3/101/2021/10-11/12/4175 भोपाल, दिनांक 07.12.2022।
 - भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-20/2022-FC दिनांक 05.12.2022।
 - अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन संभाग क्र.3 गढ़ाकोटा का पत्र क्र. 268/कार्य/2022-23 दिनांक 20/12/2022

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत चाही गयी जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत:-

स.क्र.	चाही गयी जानकारी	जानकारी												
i.	The State Government has informed that 29,187 no. of plants have been planted under various schemes on 34.78 ha forest land out of total proposed area of 181.39 ha. Therefore the copy of undertaking from the User Agency to bear the cost of plantation already raised on the area proposed for diversion shall be submitted.	परियोजना अंतर्गत डूब अंतर्गत प्रभावित वन क्षेत्र में पूर्व में किये गए वृक्षारोपण (34.78 हे. में 29,187 पौधे) की लागत राशि का भुगतान जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा। वचन पत्र संलग्न है।												
ii.	The State Govt. was informed that the Satellite imagery shows the presence of agricultural land within the proposed forest land for diversion. However the information/comments on the said issue have still not been submitted which needs submission.	परियोजना अंतर्गत डूब अंतर्गत प्रभावित वन क्षेत्र में 9 पट्टा धारको की कुल 8.11 हे. की भूमि है जिनका भूमि अर्जन, पुनर्वासन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 तहत आपसी सहमति से भू-अर्जन कर उचित मुआवजा भुगतान जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा।												
iii.	The State Govt. has now provided the KML file of 'Saddle' & 'Submergence' proposed on the Non-forest land. However on examination the total project area (including Forest & Non-Forest area) is found to be 597.05 ha instead of 683.54 ha as per online Part-I. The same shall be examined and correct factual position along with KML file shall be submitted.	परियोजना अंतर्गत प्रभावित क्षेत्र का विवरण:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>भूमि प्रकार</th> <th>क्षेत्रफल (हे.में.)</th> <th>रिमार्क</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>वन भूमि</td> <td>182.16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>गैर वन भूमि</td> <td>415.39</td> <td>निजी-362.03 शासकीय-53.36</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>597.55</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>शेष 683.54-597.55=85.99 हे. रकवा डूब प्रभावित</p>	भूमि प्रकार	क्षेत्रफल (हे.में.)	रिमार्क	वन भूमि	182.16		गैर वन भूमि	415.39	निजी-362.03 शासकीय-53.36	कुल	597.55	
भूमि प्रकार	क्षेत्रफल (हे.में.)	रिमार्क												
वन भूमि	182.16													
गैर वन भूमि	415.39	निजी-362.03 शासकीय-53.36												
कुल	597.55													


6411
26-12-22

सागर
दक्षिण वन मंडल, सागर
23/12

		राजस्व ग्रामो में दर्ज थी इसलिए शासकीय भूमि में भी दर्शाया गया है। वर्तमान में यह वन विभाग के अधिपत्य में है और कुल वन डूब क्षेत्र 182.16 हे. में सम्मिलित है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सागर जिला सागर (म.प्र.)का प्रमाण पत्र संलग्न है।
iv.	Examination of latest KML file of instant project reveals the presence of SH/ Road within the forest patches for diversion. The same shall be clarified.	परियोजना डूब क्षेत्र राज्य राजमार्ग क्र.14 से न्यूनतम 1.5 कि.मी. की दूरी पर है। परियोजना डूब क्षेत्र में ग्रामीण सड़क प्रभावित है।
v.	The State Govt. has now uploaded the KML files of degraded forest land identified to accommodate the balance saplings of the Non-forest land for CA and it has been found that part of one CA patch namely PF-1063 is falling within a water body and having encroachment/agricultural land and another CA patch namely RF-1064 was earlier proposed in case of Amelia Coal block (FP/MP/MIN/1026/2007). Therefore the same needs revision along with revised CA Schemes and other relevant documents.	वन विभाग से सम्बंधित जानकारी
vi.	The State Govt. has submitted revised Cost-Benefit Analysis. However the cost mentioned against parameters like Habitat fragmentation is not as per the prescribed guidelines. Further, the proposal is for construction of Apchand Medium Irrigation File No.8-20/2022-FC Project whereas the details given in Table -B Point No. 9 pertain to Kopra Medium Project. The same needs correction and revision accordingly.	संशोधित Cost-Benefit Analysis संलग्न कर प्रेषित
vii.	The revised KML boundary of CA land proposed in village GORAIYA has been uploaded online and on examination of same it has been found that: (a) Now the area is found to be 54.490 ha instead of 54.59 ha as per proposal. Therefore the correct kml file as per proposal shall be submitted. (b) The presence of agriculture land, Two Settlements and a Transmission line has been observed in the proposed CA land. The State Govt. shall therefore ensure that the NFL proposed for CA is free from all encumbrances and suitable for plantation.	ग्राम गोरैया में प्रस्तावित CA क्षेत्र की 54.59 हे. की संशोधित KML प्रेषित है। प्रस्तावित CA क्षेत्र में दो अस्थाई अतिक्रमण हैं जिन्हें हटाकर CA क्षेत्र वन प्रकरण Stage-2 स्वीकृति से पहले वन विभाग को हस्तांतरित कर कब्जा दिया जायेगा। Transmission line को प्रस्तावित CA क्षेत्र से हटा कर संशोधित KML फाइल प्रेषित

अतः सूचनार्थ प्रेषित।


सहपत्र:- उपरोक्तानुसार


(अखिल बिस्वरे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन रांगाग क्र.1 सागर
जिला सागर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्र०...5507.../व.ले.लि. /2022-23
प्रतिलिपि-

सागर दिनांक 23/11/2022

1- अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्र.3 गढ़ाकोटा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(अखिल बिस्वरे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर
जिला सागर (म.प्र.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग क्रं. 3, गढ़कोट, सागर (म.प्र.)

पत्र क्र०..258.. /कार्य/2022-23

गढ़कोट, दिनांक 20/12/2022

प्रति,

3031
20/12/22

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर,
जिला सागर (म.प्र.)

विषय:- आपचंद जिला सागर अंतर्गत आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 181.39 हेक्टेयर (आनलाईन रकवा 182.16 हे.) वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

- सन्दर्भ:-
1. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) का पत्र क्रमांक/एफ-3/101/2021/10-11/12/4175 भोपाल, दिनांक 07.12.2022।
 2. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-20/2022-FC दिनांक 05.12.2022।

-----000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत चाही गयी जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत:-


स.क्र.	चाही गयी जानकारी	जानकारी												
i.	The State Government has informed that 29,187 no. of plants have been planted under various schemes on 34.78 ha forest land out of total proposed area of 181.39 ha. Therefore the copy of undertaking from the User Agency to bear the cost of plantationalready raised on the area proposed for diversion shall be submitted.	परियोजना अंतर्गत डूब अंतर्गत प्रभावित वन क्षेत्र में पूर्व में किये गए वृक्षारोपण (34.78 हे. में 29,187 पौधे) की लागत राशि का भुगतान जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा। वचन पत्र संलग्न है। ५ पृ - ३												
ii.	The State Govt. was informed that the Satellite imagery shows the presence of agricultural land within the proposed forest land for diversion. However the information/comments on the said issue have still not been submitted which needs submission.	परियोजना अंतर्गत डूब अंतर्गत प्रभावित वन क्षेत्र में 9 पट्टा धारको की कुल 8.11 हे. की भूमि है जिनका भूमि अर्जन, पुनर्वासन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 तहत आपसी सहमति से भू-अर्जन कर उचित मुआवजा भुगतान जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा।												
iii.	The State Govt. has now provided the KML file of 'Saddle' & 'Submergence' proposed on the Non-forest land. However on examination the total project area (including Forest & Non-Forest area) is found to be 597.05 ha instead of 683.54 ha as per online Part-I. The same shall be examined and correct factual position along with KML file shall be submitted.	परियोजना अंतर्गत प्रभावित क्षेत्र का विवरण:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>भूमि प्रकार</th> <th>क्षेत्रफल (हे.में.)</th> <th>रिमार्क</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>वन भूमि</td> <td>182.16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>गैर वन भूमि</td> <td>415.39</td> <td>निजी-362.03 शासकीय-53.36</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>597.55</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> शेष 683.54-597.55=86.99 हे. रकवा डूब प्रभावित	भूमि प्रकार	क्षेत्रफल (हे.में.)	रिमार्क	वन भूमि	182.16		गैर वन भूमि	415.39	निजी-362.03 शासकीय-53.36	कुल	597.55	
भूमि प्रकार	क्षेत्रफल (हे.में.)	रिमार्क												
वन भूमि	182.16													
गैर वन भूमि	415.39	निजी-362.03 शासकीय-53.36												
कुल	597.55													

16

		राजस्व ग्रामो में दर्ज थी इसलिए शासकीय भूमि में भी दर्शाया गया है। वर्तमान में यह वन विभाग के अधिपत्य में है और कुल वन डूब क्षेत्र 182.16 हे. में सम्मिलित है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सागर जिला सागर (म.प्र.)का प्रमाण पत्र संलग्न है। ५५३-२
iv.	Examination of latest KML file of instant project reveals the presence of State Highways/ Road within the forest patches for diversion. The same shall be clarified.	परियोजना डूब क्षेत्र राज्य राजमार्ग क्र.14 से न्यूनतम 1.5 कि.मी. की दूरी पर है। परियोजना डूब क्षेत्र में ग्रामीण सड़क प्रभावित है।
v.	The State Govt. has now uploaded the KML files of degraded forest land identified to accommodate the balance saplings of the Non-forest land for CA and it has been found that part of one CA patch namely PF-1063 is falling within a water body and having encroachment/agricultural land and another CA patch namely RF-1064 was earlier proposed in case of Amelia Coal block (FP/MP/MIN/1026/2007). Therefore the same needs revision along with revised CA Schemes and other relevant documents.	वन विभाग से सम्बंधित जानकारी
vi.	The State Govt. has submitted revised Cost-Benefit Analysis. However the cost mentioned against parameters like Habitat fragmentation is not as per the prescribed guidelines. Further, the proposal is for construction of Apchand Medium Irrigation File No.8-20/2022-FC Project whereas the details given in Table -B Point No. 9 pertain to Kopra Medium Project. The same needs correction and revision accordingly.	संशोधित Cost-Benefit Analysis संलग्न कर प्रेषित ५५३-३
vii.	The revised KML boundary of CA land proposed in village GORAIYA has been uploaded online and on examination of same it has been found that: (a)Now the area is found to be 54.490 ha instead of 54.59 ha as per proposal. Therefore the correct kml file as per proposal shall be submitted. (b)The presence of agriculture land, Two Settlements and a Transmission line has been observed in the proposed CA land. The State Govt. shall therefore ensure that the NFL proposed for CA is free from all encumbrances and suitable for plantation.	ग्राम गोरैया में प्रस्तावित CA क्षेत्र की 54.59 हे. की संशोधित KML प्रेषित है। प्रस्तावित CA क्षेत्र में दो अस्थाई अतिक्रमण है जिन्हें हटाकर CA क्षेत्र वन प्रकरण Stage-2 स्वीकृति से पहले वन विभाग को हस्तांतरित कर कब्जा दिया जायेगा। Transmission line को प्रस्तावित CA क्षेत्र से हटा कर संशोधित KML फाइल प्रेषित

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र:- निरंक


(निशु गोस्वामी)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग क्र. 3,
गढ़ाकोटा, सागर (म.प्र.)




Annexure-I


OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES
DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail [sgr@gmail.com](mailto:ee wrdno.1 sgr@gmail.com)

UNDERTAKING

Govt. of M.P. Water Resources Department undertakes to bear the cost of plantation on 34.78 Hectare land(29,187 plants) previously executed in forest land for diversion of Apchand Medium Irrigation Project.


(Nishesh Goswami)
Sub Divisional Officer
Water Resources Sub Dn. NO.3
Garhakota, Sagar (M.P.)


(Akhil BIRTHARE)
Executive Engineer
Water Resources Dn. No. 1
Sagar (M.P.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सागर जिला सागर (म.प्र.)

उ.मा.क. 649 सी.डर-2 अ.वि.अ / 2022/658

सागर, दिनांक 13/12/2022

पति

अनुविभागीय अधिकारी
जल ससाधान उपसभाग - 3
गढ़ाकोटा जिला सागर (म.प्र.)

विषय - आपचद मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि को प्रमाणित करने बाबत।
संदर्भ - आपका पत्र क्रमांक 258 अनु.वि. / 2022-23 गढ़ाकोटा दिनांक 12/12/2022


---000---

विषयातर्गत लेख हैं कि आपचद मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि के मौजा आपचद पहन 109 में स्थित भूमि खसरा न. 792, 823, 834, 836, 868, 869, 871, 888, 897, 900, 919, 921, 924, 930, 932, 933, 934, 958, 972, 979, 1046 रकबा 308.030 हे० में से 71.990 पहन 110 बाघा पिपरिया की खसरा नंबर 2/2 रकबा 88.77 हे० में से 0.800 एव पहन 94 गोची की खसरा नंबर 241, 242/1, 242/2 में रकबा 50.290 हे० में से 13.20 हे० शासकीय भूमि आपचद मध्यम सिंचाई परियोजना में डूब में जा रही है उक्त भूमि की जानकारी चाही गयी है।

आपचद की भूमि खसरा न. 792, 823, 834, 836, 868, 869, 871, 888, 897, 900, 919, 921, 924, 930, 932, 933, 934, 958, 972, 979, 1046 रकबा 308.030 हे०, कलेक्टर भू-आकटन शाखा के ज्ञापन क्रमांक 2756 दिनांक 12/12/2000 के अनुसार इस कार्यालय के प्रकरण क्रमांक 177/बी-121/वर्ष 2000-2001 आदेश दिनांक 8/12/2000 से खसरा न. 792, 823, 834, 836, 868, 869, 871, 888, 897, 900, 919, 921, 924, 930, 932, 933, 934, 958, 972, 979, 1046 रकबा 308.030 हे०, भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई है।

बाघा पिपरिया की भूमि खसरा नंबर 2/2 इस कार्यालय के प्रकरण क्रमांक 177/बी-121/वर्ष 2000-2001 आदेश दिनांक 10/01/2002 से खसरा नंबर 2/2 रकबा 88.77 हे० भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई है।

गोची की भूमि खसरा नंबर 241, 242/1, 242/2 रकबा 50.290 हे० इस कार्यालय के प्रकरण क्रमांक 170/बी-121/वर्ष 2000-2001 आदेश दिनांक 10/01/2002 एव के अनुसार खसरा नंबर 241, 242/1, 242/2 रकबा 50.290 हे० भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई है।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सागर जिला सागर
(म.प्र.)

16

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग क्रं. 3, गढ़कोट, सागर (म.प्र.)

पत्र क्र०...../अनु.लि./2022-23

गढ़कोट, दिनांक 12/12/2022

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.),

सागर जिला सागर (म.प्र.)

विषय:- आपचंद मध्यम परियोजना अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि प्रमाणित करने बाबत
संदर्भ:- आपचंद मध्यम परियोजना भू-अर्जन प्रकरण

---000---


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है की आपचंद मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आपचंद, बोधा पिपरिया, दुधोनिया एवं गोंची प्रभावित हैं जिनके भू-अर्जन प्रकरण प्रक्रियाधीन है। उक्त ग्रामों में प्रभावित शासकीय खसरों में से निम्नलिखित खसरे पूर्व में वन विभाग को हस्तानांतरित किये जा चुके हैं :-

ग्राम का नाम	प्रभावित शासकीय खसरे जो पूर्व में वन विभाग को हस्तानांतरित किये गए			रिमार्क
	खसरा	कुल रकबा (हे. में)	अनु.प्राप्त रकबा (हे. में)	
आपचंद	792.	74.780	0.080	
	823.	3.900	3.900	
	834.	0.190	0.190	
	836.	0.640	0.060	
	868.	0.420	0.420	
	869.	43.480	18.550	
	871.	29.200	25.000	
	888.	2.020	2.020	
	897.	1.290	1.290	
	900.	0.200	0.200	
	919.	0.460	0.460	
	921.	0.470	0.470	
	924.	0.890	0.890	
	930.	0.470	0.470	
	932.	0.477	0.477	
	933.	15.960	8.000	
	934.	1.410	1.410	
	958.	1.210	0.600	
	972.	1.860	0.860	
	979.	3.650	1.650	
कुल	1046	125.040	5.000	
कुल		308.030	71.990	
कुल	2/2	88.770	0.800	
कुल		88.700	0.800	

गाँव	कुल	88.700	0.800
	241,	2.040	0.200
	242/1,	8.000	8.000
	242/2	40.250	5.000
	कुल	50.290	13.20
सुधानिया			
	कुल योग	---निरंक---	
		71.990+0.800+13.200=85.990	

आपचंद मध्यम परियोजना की वन स्वीकृति हेतु वन विभाग द्वारा उक्त का प्रमाणीकरण चाहा गया है। अतः उक्त खसरो का वन विभाग को हस्तान्तरण प्रमाणित करने का कष्ट करें।


सहपत्र:-शून्य


 (निशेष गोस्वामी)
 अनुविभागीय अधिकारी
 जल संसाधन उपसंभाग क्र. 3,
 गढ़ाकोटा, सागर (म.प्र.)

पृष्ठंकन क्र०. 259 / अनु.लि./2022-23
 प्रतिलिपि-

सागर. दिनांक 12/12/2022

1- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


 (निशेष गोस्वामी)
 अनुविभागीय अधिकारी
 जल संसाधन उपसंभाग क्र. 3,
 गढ़ाकोटा, सागर (म.प्र.)


आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2023/ 18

सागर दिनांक : 17/02/2023

इस कार्यालय का क्रमांक/व्यय/45 दिनांक 24/05/2022 जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत आपचन्द मध्यम परियोजना में प्रभावित वनभूमि रकवा 182.16 हेक्ट. वनभूमि के बदले में परिक्षेत्र केसली के वनकक्ष 1063 रकवा 30 हेक्ट राशि रूपये 25704661 की वैकल्पिक वृक्षारोपण कराने की तकनीकी स्वीकृति जारी करने से संबंधित है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)म.प्र.भोपाल का पत्र क्रमांक/4175-4176 दिनांक 07/12/2023 के निर्देशों के पालन में वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/व्यय/ 156 दिनांक 10/02/2023 द्वारा परिक्षेत्र ढाना के वनकक्ष क्रमांक PF909 रकवा 30 हेक्ट. राशि रूपये 20490847 की 11 वर्षीय वृक्षारोपण (वर्ष 2025-26 से 2034-35) संशोधित प्राक्कलन अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने के उपरांत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/व्यय/ व्यय/45 दिनांक 24/05/2022 द्वारा अनुक्रम-2 पर दर्शित परिक्षेत्र केसली के लकड़याउ वनकक्ष 1063 रकवा 30 हेक्ट राशि रूपये 25704661 की प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।


(अनिल के सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2023/ 19

सागर दिनांक : 17/02/2023

वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/व्यय/ 156 दिनांक 10/02/2023 द्वारा आपचन्द मध्यम परियोजना में प्रभावित वनभूमि रकवा 182.16 हेक्ट. वनभूमि के बदले में परिक्षेत्र ढाना के वनकक्ष क्रमांक PF909 रकवा 30 हेक्ट. राशि रूपये 20490847 की 11 वर्षीय वृक्षारोपण (वर्ष 2025-26 से 2034-35) संशोधित प्राक्कलन अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने के उपरांत मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03/09/2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र	वनमंडल का नाम	का योजना/कार्य का नाम	परिक्षेत्र	स्थल	वनकक्ष क्रमांक	रकवा है.में	राशि (रूपये में)
1	2	3	4		5	6	7
	दक्षिण सागर	आपचन्द मध्यम परियोजना	ढाना	बीट अकला-पूर्व	PF-909	30	20490847

- 1- प्रस्तावित क्षेत्र में KML file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- 2- कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।
- 3- कार्य कराने में श्रम नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 4- क्य की जाने वाली सामग्री में भंडार क्य नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी.एस.टी.की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/06/2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र/कैम्पा/318 iv/361 दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
5. रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
6. प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक कियान्वयन किया जावे।
7. यदि कराये गये कार्य निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य स्थल पर नहीं पाये जाते है तो उक्त संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र/अनु./168 दिनांक 17/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावे। संपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

9. वृक्षारोपण क्षेत्र की KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
10. वृक्षारोपण हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री स्वीकृत निविदा दर/वरिष्ठ के निर्देशों के अनुरूप ही की जावें, भिन्नता पाये जाने पर कार्य कराने वाले अधिकारी एवं संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
11. कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/6/2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-2/2022-23/10-3/2956-2957 भोपाल दिनांक 26/10/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/469/2069-2070 दिनांक 14/09/2022 के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण (CA) एवं NPV मद के अंतर्गत किये जा रहे वृक्षारोपण कार्य में क्वेचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) के उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।
14. वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।
15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/470-62/2539-2540 दिनांक 07/11/2022 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
16. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-2/2022-23/10-3/1538 भोपाल दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
17. वृक्षारोपण योजना प्राक्कलनों में प्रस्तावित प्रथम वर्ष कुल राशि का भू-जल संरक्षण कार्यों हेतु प्रस्तावित 25% राशि से भू-जल संरक्षण कार्यों के अंतर्गत बोल्टर चेकडेम/ब्रशबुड चेकडेम छोटे-छोटे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स एवं यथा स्थल पर परकोलेशन टैंक, भू-जल संरक्षण संरचनाओं की गाइडलाईन अनुसार बनाये जावें।

उक्त व्यय (कैम्पा मद) के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-SS..... के अनुक्रमांकपर दर्ज की गई है।

(अनिल के सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर
सागर दिनांक 17/02/2023

पु.क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2023/ 299
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. महालेखाकार ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन मण्डल दक्षिण सागर की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./156 दिनांक 10/02/2023 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
5. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्राक्कलन अनुक्रम-4

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर

वन मण्डल दक्षिण सागर
मुख्य वन संरक्षक, सागर
D/Moaz/Campa /TS 2023

497
20-2-23

आपचंद परियोजना के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण बीट अकलापूर्व कक्ष पी.एफ. 909 रकवा 30 है.

440

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2024-25

1- N- 23°42'01.85" E 79°06'56.40" 2- N- 23°41'56.00" E 79°06'48.35" 3- N- 23°42'00.35" E 79°06'46.39"
4- N- 23°41'52.62" E 79°06'36.70" 5- N- 23°42'02.42" E 79°06'22.74" 6- N- 23°42'16.60" E 79°06'40.39"

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हे0	35	ha	0.45	प्रति हे0	16	6930	जॉबदर
2	क्षेत्र सफाई (हे0)	15	ha	4.00	प्रति हे0	60	26400	जॉबदर
3	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	4	ha	12.50	प्रति हेक्ट	50	22000	जॉबदर
	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (सघन)	24	ha	22.00	प्रति हेक्ट	528	232320	जॉबदर
4	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.5 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही 2 मीटर ऊंचे सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गडदों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	2650	Rmt	2.4	Rmt	6360	2798400	गणना के आधार पर
5	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	30000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	75	33000	जॉबदर
6	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 45x45x45 cm.	30000	गड्ढे	5	प्रति सैकड़ा	1500	660000	जॉबदर
7	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु क्य आयतन का 30 प्रतिशत	820.125	घ0मी0	1.5	प्रति घ0मी0	1230	541283	बाजार दर
8	गोबर खाद डालने हेतु क्य आयतन का 15 प्रतिशत	410.063	घ0मी0	3	प्रति घ0मी0	1230	541283	बाजार दर
9	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	30000	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	450	198000	जॉबदर
10	2 हट निर्माण		L.S.			150	66000	अनुमानित
11	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					213	93720	अनुमानित
	योग					11862	5219335	
12	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे0	24.5	प्रति हे0	2966	1304834	अनुमानित
	कुल योग					14828	6524169	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र दाना

उप वन मण्डल अधिकारी
दक्षिण सागर

वन मण्डलाधिकारी
दक्षिण वन मण्डल सागर

योजना का द्वितीय वर्ष 2025-26

484.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाक
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	रोपणी कार्य							
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	30000	पौधे	10	10/प्रति पौधा	709	343156	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	6000	पौधे	10	10/प्रति पौधा	142	68728	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	36000	पौधे	1.5	1.5/100	540	261360	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	36000	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	144	69696	जॉबदर
3	लैटाना मापिंग अप आपरेशन	24	25 हेक्टेयर	8	8 प्रति हेक्ट	160	77440	जॉबदर
4	रोपण							
	45x45x45 cm.	30000	गड्डे	1.8	1.8 प्रति सैकड़ा	540	261360	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	30000	पौधे	1.25	1.25/100	375	181500	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	30000	पौधे	1	1/100	300	145200	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	30000	पौधे	1	1/100	300	145200	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	30000	पौधे	0.6	0.6 प्रति सैकड़ा	180	87120	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	2700	mtr	3.35	3.35/किमी	9	4378	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	1500	mtr	2.25	2.25/किमी	3	1634	जॉबदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह		2x9			540	261360	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	30000	पौधे		Lumsum	1100	532400	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					378	182952	अनुमानित
						योग:-	5420	2623483

योजना का तृतीय वर्ष 2026-27

532.40

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रतिईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाक
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	3000	पौधे	10	10 रु./पौधा	110	58564	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3000	पौधे	1.5	1.5/100	45	23958	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3000	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	12	6389	जॉबदर
3	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					60	31944	अनुमानित
4	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	30000	पौधे	1.25	1.25/100	375	199650	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	30000	पौधे	1	1 मादि/100	300	159720	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	30000	पौधे	1	1 मादि/100	300	159720	जॉबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	30000	पौधे	0.6	0.6 मादि/सै.	180	95832	जॉबदर
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	2700	mtr	3.35	3.35/किमी	9	4816	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	1500	mtr	2.25	2.25/किमी	3	1797	जॉबदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	383328	अनुमानित
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		पौधे		Lumsum	1100	585640	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					257	136827	अनुमानित
						योग:-	3471	1848184

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र ढाना

उप वन मण्डल अधिकारी
दक्षिण सागर

वन मण्डलाधिकारी
दक्षिण वन मण्डल सागर

योजना का चतुर्थ वर्ष 2027-28

585.64

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	3000	पौधा	10	10 रु./पौधा	110	64420	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3000	पौधे	1.5	100	45	26354	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3000	पौधे	0.4	सैकड़ा	12	7028	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	30000	पौधे	1.25	100	375	219615	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	30000	पौधे	1	100	300	175692	जॉबदर
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	30000	पौधे	0.6	0.6 मादि/सै.	180	105415	जॉबदर
6	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	2700	mtr	3.35	किमी	9	5297	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	1500	mtr	2.25	किमी	3	1977	जॉबदर
7	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	421661	अनुमानित
8	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					50	29282	अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		पौधे		Lumsum	437	255925	अनुमानित
योग:-						2241	1312665	

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2028-29

644.20

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					150	96630	अनुमानित
2	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	30000	पौधे	1.25	100	375	241575	जॉबदर
3	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	30000	पौधे	1	100	300	193260	जॉबदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	30000	पौधे	0.6	0.6 मादि/सै.	180	115956	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	2700	mtr	3.35	किमी	9	5827	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	1500	mtr	2.25	किमी	3	2174	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	463824	अनुमानित
7	अन्य व्यय					60	38652	अनुमानित
8	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		पौधे		Lumsum	793	510861	अनुमानित
योग:-						2590	1668759	

योजना का षष्ठम वर्ष 2029-30

708.62

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	30000	पौधे	1.25	100	375	265733	जॉबदर
2	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	30000	पौधे	1	100	300	212586	जॉबदर
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	2700	mtr	3.35	किमी	9	6409	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	1500	mtr	2.25	किमी	3	2392	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	510206	अनुमानित
3	उपलब्धता अनुसार सिंचाई					694	491792	अनुमानित
योग:-						2101	1489118	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र दून

उप वन मण्डल अधिकारी
दक्षिण रागर

वन मण्डलाधिकारी
दक्षिण वन मण्डल सागर

योजना का सप्तम वर्ष 2030-31

779.49

5

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	प्रथम निंदाई पौधों में	30000	पौधे	1.25	100	375	292309	जॉबदर
2	द्वितीय निंदाई पौधों में	30000	पौधे	1	100	300	233847	जॉबदर
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	2700	mtr	3.35	किमी	9	7050	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	1500	mtr	2.25	किमी	3	2631	जॉबदर
4	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	561233	अनुमानित
5	उपलब्धता अनुसार सिंचाई					294	229165	अनुमानित
योग:-						1701	1326234	

योजना का अष्टम वर्ष 2031-32

857.44

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	प्रथम निंदाई पौधों में	30000	पौधे	1.25	100	375	321540	जॉबदर
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	2700	mtr	3.35	किमी	9	7756	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	1500	mtr	2.25	किमी	3	2894	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	617357	अनुमानित
3	अन्य व्यय					204	174912	अनुमानित
योग:-						1311	1124458	

योजना का नवम वर्ष 2032-33

943.18

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	2700	mtr	3.35	किमी	9	8531	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	1500	mtr	2.25	किमी	3	3183	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	679090	अनुमानित
3	अन्य व्यय					92	86773	अनुमानित
योग:-						824	777576	

योजना का दशम वर्ष 2033-34

1037.50

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	2700	mtr	3.35	किमी	9	9384	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	1500	mtr	2.25	किमी	3	3502	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	747000	अनुमानित
3	अन्य व्यय					92	95447	अनुमानित
योग:-						824	855333	

योजना का ग्यारवा वर्ष 2034-35

1141.25

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	2700	mtr	3.35	किमी	9	10323	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	1500	mtr	2.25	किमी	3	3852	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	821700	अनुमानित
3	अन्य व्यय					92	104993	अनुमानित
योग:-						824	940867	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाना

उप वन मण्डल अधिकारी
दक्षिण सागर

वन मण्डलाधिकारी
दक्षिण वन मण्डल सागर

आपचंद परियोजना के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण बीट अकलापूर्व कक्ष पी.एफ. 909 रकवा 30 हे.
गोशवारा, आदर्श रोपण

7

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि
प्रथम वर्ष 2024-25	14828	6524169
द्वितीय वर्ष 2025-26	5420	2623483
तृतीय वर्ष 2026-27	3471	1848184
चतुर्थ वर्ष 2027-28	2241	1312665
पंचम वर्ष 2028-29	2590	1668759
षष्ठम वर्ष 2029-30	2101	1489118
सप्तम वर्ष 2030-31	1701	1326234
अष्टम वर्ष 2031-32	1311	1124458
नवम वर्ष 2032-33	824	777576
दशम वर्ष 2033-34	824	855333
ग्यारवा वर्ष 2034-35	824	940867
कुल योग		20490847

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र देना

उप वन मण्डल अधिकारी
दक्षिण सागर

वन मण्डलाधिकारी
दक्षिण वन मण्डल सागर



इस कार्यलय के कार्यालय के माध्यम से 19 दिनांक 17-02-23
के उल्लेखित शर्तों के अधीन अनुमोदित

मुख्य वन संरक्षक
सागर वन वृत्त-सागर

COMPARTMENT NO-P909

AREA=246.911

SCALE- 1:15,000



Checked by

(P.D. Ghodke)
Forest Ranger
NARETARI
R.D.F.F.S

Checked by

(V.K. Shrivastava)
Forest Ranger

Prepared by

(Anita Bharke)
D.M. CF., (W.P.) Bhopal

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र छाना

वन संरक्षण
कार्य आयाजना, भोपाल (म.प्र.)



Untitled Map

Map description for your map



400 m



Legend

Polygon

Fill



Map Examples

५५३-३
①

**Cost Benefit Analysis for
APCHAND MEDIUM IRRIGATION PROJECT**

On the basis of Guidelines for forest land diversion 2018

**Table-A Cases under which a cost benefit analysis for forest diversion
are required**

No.	Nature of proposal	Applicable/not applicable	Remarks
1	All categories of proposals involving forest land up to 20 hectares in plains and up to 5 hectare in hill	Not applicable	
2	Proposal for defense installation purposes and oil prospection (prospecting only)	Not applicable	
3	Habitation, establishment of industrial units, tourist lodges complex and other building construction	Not applicable	
4	All other proposals involving forest land more than 20 hectares in plains and more than 5 hectares in hills including roads, transmission lines, minor, medium and major irrigation project's mining activity railway lines, location specific installations like microwave station, auto repeater centres, TV towers etc.	Applicable	These are cases where a cost benefit analysis is necessary to determine when diverting the forest land to non-forest use of overall public interest. The Apchand Medium Irrigation Project falls under this category.


Table-B Estimation of cost of forest diversion


No.	Nature of proposal	Remark
1	Ecosystem services losses due to proposed forest diversion	Ecosystem services due to diversion of forest land suggested by the Central Powered Committee as per the forest classification report of proposed Apchand Medium Irrigation Project is Rs. 9.58 Lakh/Ha Cost of Land : = 182.16 x 9.58 = Rs.1745.09 Lakh.
2	Loss of animal husbandry productivity, including cost of fodder.	As per the cost benefit guideline i.e 10% of N.P.V. 0.958 Lakh per Ha. = 182.16 X 0.958 = Rs. 174.51 Lakh
3	Cost of human resettlement	There is no human settlement due to the proposed Apchand Medium Irrigation Project. Hence the cost of human resettlement is NIL.
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, building, schools, dispensaries, electric lines, railways, etc.) on forest land, which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	There is no loss of public facilities and administrative infrastructures of forest land due to construction of Apchand Medium Irrigation Project, no cost has been added on this account.
5	Possession value of forest land diverted.	The possession value of forest land diverted is taken 30% of the N.P.V. due to loss of forest i,e 2.87 Lakh / Ha. = 182.16 x 2.87 = Rs 522.80 Lakh
6	Cost of suffering to oustees	Not applicable
7	Habital Fragmentation Cost	Forest land is being acquired for construction of dam, submergence & spill channel of Apchand Medium Irrigation Project. There is no amount is taken under this account.
8	Compensatory afforestation and soil & moisture conservation cost	The cost @ Rs 4.00 Lakh per Ha. is taken compensatory afforestation and soil moisture conservation Hence amount will be : = 182.16 x 4.00 = Rs.728.64 Lakh
9	Total cost due to forest land diversion.	Total cost due to forest land diversion for Apchand Medium Project in lakhs will be: =1745.09+174.51+522.80+728.64 = 3171.04 Lakh


APCHAND MEDIUM IRRIGATION PROJECT

COST BENEFIT ANALYSIS

Total Cost due to forest land : 3171.04 Lakhs
Toal Benefit due to the Project : 4742.25 Lakhs
Benefit Cost Ratio of the Project : **1.495**


Sub-Engineer


(Nishesh Goswami)
Sub-divisional Officer
W.R. Subdivision No.3
Garhakota


(Akhil Birthare)
Executive Engineer
W.R. Division No.1
Sagar (M.P.)